

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (के-396) अलेसे-।/९७८

दिनांक:- ०१/०७/२०२०

कार्यालय आदेश

श्री किशनलाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। (लिंक नं० 4314), कार्यालय—अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रा.उ.मा., खण्ड चूरू ने स्वयं के नाम परिवर्तन के लिए राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम-८ (क) के निर्णय संख्या 5 की पालना पूर्ण कर ली है। अतः श्री किशनलाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। (लिंक नं० 4314), कार्यालय—अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रा.उ.मा., खण्ड चूरू का नाम परिवर्तित कर, “किशनलाल” के स्थान पर “किशनलाल पारीक” करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (के-396) अलेसे-।/९७८

दिनांक:- ०१/०७/२०२०

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रा.उ.मा., खण्ड चूरू।
3. कोषाधिकारी, चूरू।
4. श्री किशनलाल पारीक, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय— अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रा.उ.मा., खण्ड चूरू।
5. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/निजी पत्रावली/गार्ड फाइल।


(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-।)